UPVR010057622026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-01 वाराणसी।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 1896/2026

सुदामा बनवासी पुत्र स्व० नखडू निवासी ग्राम-अनेगपुर (चौधरी का पुरा) थाना- चौरी जिला- भदोही।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य..

.....अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध संख्या-128/2025,

धारा-305,331(4),317(2) बी.एन.एस.

थाना-कपसेठी, वाराणसी।

दिनांक-15.06.2026

1- यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **सुदामा बनवासी** की ओर से जमानत हेतु मुकदमा अपराध सं0-128/2025, अंतर्गत धारा-305,331(4),317(2) बी.एन.एस., थाना-कपसेठी, वाराणसी के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथपत्र से समर्थित है।

2- प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरूद्ध है।

3- आवेदक/अभियुक्त की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

4- अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शिव सागर पाल उर्फ बण्टी पाल द्वारा दिनांक 30.08.2025 को थाना कपसेठी में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 29/30.08.2025 की रात में लगभग 2.00 बजे उसके घर में दो जगह सेंध लगाकर दो बक्से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। उक्त बक्सों में कपड़े और जेवरात व पैसे रखे हुए थे। उक्त घटना की जानकारी दिनांक 30.08.2025 को सुबह 5.00 बजे हुई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कपसेठी में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मु0अ0सं0-128/2025, अंतर्गत धारा-305, 331 (4) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

5- दौरान विवेचना दिनांक 08.09.2025 को एस०आई० जितेन्द्र बहादुर सिंह के नेतृत्व वाले पुलिस दल द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आदमपुर मोड़ के पहले पहुँचकर कटवार की तरफ से आने वाले तीन व्यक्तियों को एकबारगी दबिश देकर समय करीब 05.45 बजे पकड़ लिया गया जो पुलिस वालों को देखकर भागने का प्रयास कर रहे थे। भागने का कारण पूछने पर उक्त व्यक्तियों ने बताया कि उनके पास झोले में चोरी का कुछ सामान है, जिस कारण वह भाग रहे थे। पकड़े गये व्यक्तियों में से पहले ने अपना नाम

Digitally signed by SANDHYA SRIVASTAVA
Date: 2026.06.15 12:26:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

गोपी बनवासी, दूसरे ने अपना नाम कमलेश बनवासी तथा तीसरे ने अपना नाम सुदामा बनवासी बताया तथा यह भी बताया कि उनके पास के झोले से बरामदशुदा आभूषण एक सप्ताह पहले उन लोगों ने अपने तीन अन्य साथियों सुभाष बनवासी, राजकुमार बनवासी तथा गुलाब बनवासी के साथ मिलकर ग्राम सरॉवा थाना क्षेत्र कपसेठी जनपद वाराणसी के एक मकान से चोरी किया था, वही जेवरात झोले में हम लोगों के पास मिला है। तत्पश्चात् दिनांक 12.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर आवेदक एवं बृज बनवासी को गिरफ्तार किया गया। आवेदक/अभियुक्त के पास से पकड़े हुए झोले की जामा तलाशी लेने पर पीली धातु के जेवरात व नगद रूपया बरामद हुआ, जिसमें एक जोड़ी टप्स पीली धातु, चार अदद नाक की कील पीली धातु, एक अदद मंगलसूत्र लाकेट लगा हुआ पीली धातु, लच्छा चार अदद पीली धातु, कमर पेटी करधनी एक अदद पीली धातु, सिकड़ी एक अदद पीली धातु, बिछिया पॉच जोड़ी सफेद धातु जन्जीर एक अदद सफेद धातु, चूड़ी बचकानी एक अदद सफेद धातु तथा रूपये एक लाख दो हजार दो सौ बरामद हुए। अभियुक्तगण के पास से कथित घटना में बरामदशुदा चोरी के जेवरात व रूपयों के आधार पर प्रकरण में धारा-317 (2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी।

6- आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी अभियुक्त की यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा और कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में या अन्य किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है। मुकदमा उपरोक्त में पुलिस इलाका कपसेठी द्वारा गलत तरीके से घर से पकड़कर झुठा चालान कर दिया है। वास्तविकता यह है कि थाना कपसेठी वाराणसी की पुलिस द्वारा प्रार्थी अभियुक्त को घर से बुलाकर थाने की सफाई करने हेतु ले आये सफाई करने के बाद प्रार्थी अभियुक्त द्वारा मजदूरी मांगने पर नाराज होकर गलत तरीक पर उपरोक्त धाराओ में चालान कर दिया गया। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी अभियुक्त नामजद अभियुक्त नही है और पुलिस इलाका कपसेठी द्वारा गलत तरीके से फसा दिया गया है। मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नही है। मुकदमा उपरोक्त में असलियत यह है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नही किया गया है। बल्कि उक्त अपराध सं0 128/26 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज है। मुकदमा उपरोक्त में सह अभियुक्तो की जमानत हो चुकी है। मुकदमा उपरोक्त मे प्रार्थी अभियुक्त दिनांक-12-09-2025 ई0 से जिला कारागार वाराणसी में बंद है। मुकदमा उपरोक्त मे प्रार्थी अभियुक्त निर्दोश व निरअपराध है। ऐसी सूरत में मुकदमा उपरोक्त में प्रार्थी अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा करने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत होगा।

7- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुए, जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

8- अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी मुकदमा के लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-128/2025 अन्तर्गत धारा-305, 331 (4), बी.एन.एस., थाना- कपसेठी, वाराणसी में पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से हुई कथित बरामदगी के आधार पर प्रकरण में धारा-317 (2) बी.एन.एस., की बढ़ोत्तरी की

गयी। आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुसकर जेवरात व नकदी चोरी करने तथा पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद होने का अभियोग है। जबकि अभियुक्त का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को पुलिस द्वारा उसे गलत तरीके से घर से पकड़ कर झुठा चालान कर दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। कथित घटना एवं बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास ही प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराएं सात वर्ष से कम की सज़ा से दण्डनीय हैं। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले मे सह-अभियुक्त की जमानत पूर्व मे स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 12.09.2025 से जिला कारागार, वाराणसी में निरूद्ध है।

9- अतएव मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा गुण-दोष पर कोई विचार व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **सुदामा बनवासी** द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अधीन निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जायः-

1. अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा अनावश्यक स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
2. अभियुक्त मामले से संबंधित साक्षियों को आतंकित या प्रभावित नहीं करेगा।

दिनांक-15.06.2026

(संध्या श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-1, वाराणसी।